>

Title : Need to enhance the amount of funds under Members of Parliament Local Area Development Scheme for drinking water projects and also accord priority to the proposals given by MPs for Rural Development projects in their Parliamentary Constituencies.

डॉ. संजय सिंह (सुल्तानपुर): देश में अक्सर पेयजल की समस्या के बारे में काफी सुनने, पढ़ने के बाद, टेलीविजन में समाचार के माध्यम से पेयजल की कमी की गंभीरता पर प्रकाश डाला जा रहा है और धीरे-धीरे पेयजल समस्या निश्चित तौर से एक बड़े संकट का संकेत दे रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर की पेयजल की समस्या के बारे में माननीय सदन को बताना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में भूजल स्तर काफी गिर गया है। यद्यपि समय-समय पर इंडिया मार्क -II हैंडपम्प लगते रहे हैं, परन्तु बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए पेयजल की मांग घट नहीं रही है। इसके लिए ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत सभी सांसदों को पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु सांसदों के प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और संसद सदस्य स्थानीय विकास निधि की धनराशि को दो करोड़ से दस करोड़ किया जाना चाहिए। चूंकि उत्तर प्रदेश में सभी विधायकों को अपने विधान सभा क्षेत्र के लिए दो करोड़ रूपए विकास के लिए दिये जाते हैं, उस हिसाब से एक सांसद पांच से सात विधान सभाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इस कम राशि के कारण सांसद अपने क्षेत्र में यथोचित विकास कार्य कराने में असमर्थ महसूस करता है। अगर यह भी संभव न हो तो प्रत्येक सांसद को 50 किलोमीटर सड़क बनवाने एवं 500 हैंडपम्प लगाने के अधिकार दिये जायें और यह राशि केन्द्र स्तर पर जारी की जाये।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मौजूदा पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु सांसदों को अधिक अधिकार दिये जायें और उनके प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाये।